राजकीय महाविद्यालय इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2010 से 31.3.2017

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया कि अंकेक्षण अवधि 4/1995 से 3/2010 तक जारी विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई अत्याधिक आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महाविद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा भविष्य में उनकी पुनरावृति न हो लेकिन गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर अपेक्षित कार्यवाही न करके बारम्बार उन्हीं अनियमितताओं की पुनरावृति हो तो अंकेक्षण का महत्व ही समाप्त हो जाता है।

अतः अनुपालना हेतु पुनः अनुरोध है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गए निम्न अनिर्णीत पैरों का शीघ्र पूर्ण निपटारा किया जाए महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों तथा उन पर की गई कार्यवाही को वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने पर लम्बित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से रहीः—

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 4/1995 से 3/2001 तक

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 4/2001 से 3/2006 तक

1	पैरा—7	अनिर्णीत
2	पैरा—10	अनिर्णीत
3	पैरा—11	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 4/06 से 3/10 तक

1	पैरा—5 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा—5 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा—6 (क, ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)

4	पैरा–7	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
5	पैरा–8	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व वसूली की जाँच के आधार पर)
6	पैरा–9	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
7	पैरा–10	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
8	पैरा–11	अनिर्णीत	
9	पैरा–12	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
10	पैरा–13	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

राजकीय महाविद्यालय इन्दौरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.10 से 31.3.17 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्रमांक	आपत्ति का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि का कम एकत्रीकरण	5	2.07
2	विलम्ब शुल्क के रूप में कम एकत्रीकरण	8	0.83
3	वैट के रूप में आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित भुगतान	11	0.21
4	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	12	0.47
5	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना खरीद बारे	17	3.93

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय इन्दौरा, जिला कांगड़ा के छात्र निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2017 तक जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 11.4.2017 से 5.7.17 तक इन्दौरा में किया गया लेखाओं की विस्तृत जाँच के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2010–11	11/2010	1/2011
2011–12	6/2011	11/2011
2012–13	6/2012	12/2012
2013–14	7/2013	8/2013
2014–15	7/2014	2/2015
2015–16	7/2015	2/2016
2016–17	7/2016	12/2016

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार प्राचार्यों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया:–

क्रमांक	प्राचार्य	अवधि
1	श्री एस0के0 शर्मा	1.4.2010 से 31.3.2012
2	श्रीमती प्रवीण कुमारी	1.4.2012 से 6.5.2012
3	श्री के0सी0 शर्मा	7.5.2012 से 16.7.2013
4	श्रीमति प्रवीण कुमारी	17.7.2013 से 4.8.14
5	श्री राज कुमार जम्बाल	5.8.2014 से 15.7.2015
6	श्री श्याम सिंह	16.7.2015 से 28.3.2016
7	डा0 अनिल रत्न वर्मा	29.3.2016 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्था के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2010 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹56000 किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	निधि से प्राप्तियाँ	अंकेक्षण शुल्क (₹)
2010—11	1176824	8000
2011—12	1582431	8000
2012—13	1208020	8000
2013—14	1591976	8000
2014—15	1646627	8000
2015—16	3201634	8000
2016—17	2804758	8000
	कुल	**₹56000**

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण शुल्क की ₹56000 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 283 दिनांक 19.5.2017 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में महाविद्यालय द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 056424 दिनांक 20.5.2017 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

महाविद्यालय के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न वर्णित हैः–

(क) समिश्रित निधिः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तशेष
2010–11	494574	1127224	10632	1632430	565244	1067186
2011–12	1067186	1534631	63752	2665569	817802	1847767
2012–13	1847767	1177620	92002	3117389	492640	2624749
2013–14	2624749	1539876	119634	4284259	1187241	3097018
2014–15	3097018	1599927	68707	4765652	2059692	2705960
2015–16	2705960	3138734	169842	6014536	2478363	3536173
2016–17	3536173	2652358	150893	6339424	2464248	3875176

अन्तशेष का विवरणः–

बैंक खाता संख्या 20076037240 के0सी0सी0बी0 इन्दौरा में दिनांक 31.3.2017 को ₹3875176 शेष थे

(ख) पुस्तकालय प्रतिभूति निधि

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तशेष
2010–11	165274	49600	6961	221835	–	221835
2011–12	221835	47800	10142	279777	–	279777
2012–13	279777	30400	4340	314517	–	314517
2013–14	314517	52100	6023	372640	–	372640
2014–15	372640	47200	8244	428084	–	428084
2015–16	428084	62900	7771	498755	267576	231179
2016–17	231179	152400	5426	389005	–	389005

अन्तशेष का विवरणः–

बैंक खाता संख्या 20076044702 के0सी0सी0बी0 इन्दौरा में दिनांक 31.3.2017 को शेष	**₹189005**
सावधिक जमा	**₹200000**
कुल	**₹389005**

नोटः– दिनांक 16.3.2012 को ₹2 लाख सावधिक जमा में निवेशित थे व यह राशि बार–2 पुनः निवेशित कर ब्याज सहित दिनांक 30.10.2016 को ₹296655 निवेशित थी जिसकी परिपक्वता दिनांक 30.10.2017 को ₹318911 है। पुनः निवेश के समय ब्याज को रोकड़ बही में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विश्वविद्यालय निधिः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तशेष
2010–11	122926	166843	5275	295044	148668	146376
2011–12	146376	130542	7306	284224	123096	161128
2012–13	161128	258077	3563	422768	230148	192620
2013–14	192620	313415	5749	511784	191299	320485
2014–15	320485	800849	20206	1141540	246094	895446
2015–16	895446	957838	47488	1900772	1223675	677097
2016–17	677097	990303	45898	1713298	530100	1183198

के0सी0सी0बी0 बैंक खाता संख्या 20076037353 में दिनांक 31.3.2017 को शेष ₹183198

(1) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा दिनांक 31.3.2017 को समिश्रित निधि के बैंक बचत खाते में ₹3875176 जमा थे यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इस निधि का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो संस्था को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित होती जिसका उपयोग छात्रों के कल्याणार्थ किया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन करें ताकि संस्थान को अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति हो सके।

5 कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹2.07 लाख का एकत्रीकरण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.6.2010 के क्रम संख्या 28 के अन्तर्गत कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि का एकत्रीकरण वाणिज्य एवं गणित कक्षाओं के विद्यार्थियों से ₹15 प्रति माह प्रति छात्र की दर से एकत्र किया जाना अपेक्षित था जबकि जाँच में पाया गया कि अवधि 1.4.2010 से 31.3.2014 तक इस निधि के रूप में वाणिज्य एवं गणित तृतीय वर्ष के छात्रों से ही निधि थी एवं रूसा के अन्तर्गत अध्ययनरत इन विषयों के विद्यार्थियों से इस निधि की वसूली की गई, का एकत्रीकरण नहीं किया गया था व केवल वाणिज्य एवं गणित के तृतीय वर्ष के छात्रों से ही यह निधि एकत्र की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2010–11

कक्षा	बी0एस0सी0 NM	बी0कॉम	बी0ए0 (गणित)	जोड़	कुल राशि
प्रथम वर्ष	62	145	10	217	

द्वितीय वर्ष	5	55	7	67	
			जोड	**284X180**	**51120**
वर्ष 2011–12					
प्रथम वर्ष	29	141	9	179	
द्वितीय वर्ष	66	65	9	140	
			जोड	**319x180**	**57420**
वर्ष 2012–13					
प्रथम वर्ष	62	79	22	163	
द्वितीय वर्ष	17	77	5	99	
			जोड़	**262x180**	**47160**
वर्ष 2013–14					
प्रथम वर्ष	49	110	0	159	
द्वितीय वर्ष	28	87	12	127	
			योग	**286X180**	**51480**
					₹207180

अतः निधि ₹207180 का एकत्रीकरण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कम एकत्रित राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा यह राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

6 कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹180 की कम एकत्रीकरणः–

हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.6.2010 के क्रम 28 के अन्तर्गत कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली ₹15 प्रतिमाह की दर से गणित के छात्रों से अपेक्षित थी। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान बी0एस0सी0 IIIrd year के नान मैडिकल के छात्रों से ₹180 की बजाए ₹120 प्रति वर्ष इस निधि के रूप में वसूल किए गए थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	छात्र का नाम	रोल नं0	रसीद सं0	दिनांक
1	मोनिका सनौरिया	2201	0513850	14.10.11
2	नमरता सिंह	2202	0513857	17.10.11
3	अंजली	2203	0513856	17.10.11

इस प्रकार (₹60X3)=180 का एकत्रीकरण कम किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 महाविद्यालय द्वारा रोबर एवं रेन्जर निधि की ₹0.53 लाख का अधिक एकत्रीकरणः—

महाविद्यालय की छात्र निधि प्राप्ति की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2010—11 के दौरान छात्रों से रोबर एवं रेन्जर निधि के रूप में ₹52740 अधिक वसूल/प्राप्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.6.2010 के क्रम 27 के अन्तर्गत रोबर एवं रेंन्जर निधि के प्रति छात्र प्रतिवर्ष ₹60 वसूलना अपेक्षित था जोकि छात्रों से पहली किस्त के समय वसूल कर लिया गया लेकिन छात्रों से दूसरी किश्त में भी वर्ष 2010—11 में ₹52740 एकत्र की गई। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाए व एकत्रीकरण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹0.83 लाख की वसूली न करनाः—

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2013—14, 2014—15 व 2015—16 में हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश व प्रवेश विवरणिका अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 21 जून से 30 जून तक ₹10 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित था जबकि निम्न वर्णित रसीदों की जाँच में पाया गया कि अवधि 2013—14 से 2015—16 तक निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क के दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अवधि के दौरान सरकारी कोष को ₹82570 की हानि हुई।

अतः विलम्ब शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि मे जमा करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। कम का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

(i) सत्र 2013—14

रसीद सं0	जमा की तिथि	कुल छात्र	दर	कुल विलम्ब शुल्क
1 से 155	1.7.13	155	100	15500
156 से 287	2.7.13	132	110	14520
287 से 422	8.7.13	135	170	22950
			कुल	**₹52970**

(ii) सत्र 2014—15

रसीद सं0	जमा की तिथि	कुल छात्र	दर	कुल विलम्ब शुल्क
0664466 से 0664500	1.7.14	35	100	11700
06644401 से 06644450		50		
0664501 से 0664533		32		
(0664529 को छोड़कर)				
			कुल	₹11700

(iii) सत्र 2015—16

रसीद सं0	जमा की तिथि	कुल छात्र	दर	कुल विलम्ब शुल्क
11851 से 1950	3.7.15	100	100	17900
101 से 129		29		
685651 से 685700		50		
			कुल	₹17900

कुल योग (i) से (iii) ₹82570

9 ₹170 को रोकड़ व बैंक में जमा न करनाः—

अभिलेख की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से विलम्ब शुल्क के रुप में एकत्र की गई ₹170 को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

रसीद सं0	दिनांक	रोल न0	नाम	राशि
1012	7.7.16	3115LAGH170079	रंजना	80
1095	7.7.16	31717136	रोहित सिहं	90
			कुल	**170**

अतः उक्त ₹170 को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित रोकड़/बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹211 के दण्ड शुल्क की कम वसूलीः—

अभिलेख की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से दण्ड शुल्क के रुप में ₹211 की वसूली वर्ष 2016—17 के दौरान नही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

कक्षा	समैस्टर सं0	रोल न0	राशि
बी एस0सी	6वां	2114LAGH010027	42
		2114LAGH010030	23
		2114LAGH040003	4
बी. काम.	6वां	3114LAGH170084	13
बी.ए.	6वां	1114LAGH210001	19
		1114LAGH210003	12
		1114LAGH210005	15
		1114LAGH210011	6
		1114LAGH210018	12
		1114LAGH210027	16
		1114LAGH210033	01
		1114LAGH210034	13
		1114LAGH220006	12
		1114LAGH290006	23
		कुल	**211**

अतः ₹211 को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित रोकड़ व बैंक खाते में जमा करवाना सुचिश्चित किया जाए।

11 वैट के रुप में आपूर्तिकर्ता को ₹0.21 लाख का अनुचित भुगतानः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविघालय द्वारा विभिन्न क्रय सामग्री पर वैट के रुप में अनुचित रुप से ₹21441 का भुगतान किया गया। महाविधालय द्वारा आपूर्तिकताओं से जो निविदाएं आमन्त्रित की गई थी उनमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वैट के बारे में नही दर्शाया था अतः निम्नलिखित क्रय के मामलों में अनुचित रुप से भुगतान किए गए वैट बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करने उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम सं0	बिल/ वाऊचर सं0 दिनांक	विवरण/फर्म का नाम	राशि	वैट
1	21/20.6.11	मैसर्ज अभिनय आकसेट प्रिंटर्ज इन्दौरा को प्रोस्पैक्टस व आई कार्ड की छपवाई का भुगतान	17760	880
2	28/28.6.11	मै0 शिवानी प्रिंटर्ज इन्दौरा को मैगजीन की छपवाई का भुगतान	33750	1687
3	106/5.12.11	मै0 शिवानी प्रिंटर्ज इन्दौरा को उतर पुस्तिकाओं की छपवाई का भुगतान	24000	1200
4	8/13.6.12	मैसर्ज शिवानी प्रिंटर्ज इन्दौरा को प्रोस्पैक्टस व आई कार्ड की छपवाई का भुगतान	17100	855
5	63/18.12.12	मै0 गीता प्रिंटरज प्रेस चौबाड़ी को उतर पुस्तिकाओं की छपवाई का भुगतान	49500	2475
6	91/18.6.13	मैसर्ज अभिनय आकसेट प्रिंटरज को प्रोस्पैक्टस की छपवाई का भुगतान	26950	1298
7	1528/8.10.13	मै0 गीता प्रिंटरज प्रेस चौबाड़ी को उतर पुस्तिकाओं की छपवाई का भुगतान	22608	1081
8	3/10.4.14	मै0 गीता प्रिंटरज प्रेस चौबाड़ी को उतर पुस्तिकाओं की छपवाई का भुगतान	20000	1000
9	9/10.5.14	मैसर्ज अभिनय आकसेट प्रिंटरज को पत्रिका की छपवाई का भुगतान	45200	2260
10	166/3.4.15	मै0 गांधी मैटल क्राफट से समृति चिन्ह की खरीद	34850	4983
11	188/20.6.15	मै0 गीता प्रिंटरज प्रैस चौबाड़ी को प्रोस्पैक्टस पहचान पत्र व रजिस्टर आदि की छपवाई का भुगतान	74440	3722
		श योग		**₹21441**

12 औपचारिकताऐं पूर्ण किये बिना ₹0.47 लाख का क्रयः—

अभिलेख की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न निधियों से निम्न विवरणानुसार सामग्री का क्रय निविदायें आमन्त्रित किये बिना किया गया था जबकि हि0 प्र0 वित्त नियम 2009 के नियम 97 के द्वारा औपचारिकताऐं पूर्ण कर क्रय किया जाना अपेक्षित था। अतः औपचारिकनाऐं पूर्ण किये बिना क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से अपेक्षित स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	वा0 सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	23 / 20.6.11	मैसर्ज शिवानी प्रिंटरज इन्दौरा से बिल सं0 102 व 106 दिनांक 18.6.15 के अन्तर्गत स्टेशनरी क्रय	4100
2	1 / 5.4.12	मैसर्ज फोटोमैक्स पठानकोट से इनवायस सं0 2592 के अन्तर्गत लैपटाप / कम्पयूटर इत्यादि सामान	43240
		कुल	**₹47340**

13 उत्तर पुस्तिकाओं की कम मात्रा दर्शाने बारेः—

जांच में पाया गया कि वर्ष 2015 के माह सितम्बर के दौरान स्टाक रजिस्टर के पेज सं0 23 पर उतर पुस्तिकाओं की मात्रा 8691 शेष थी तथा माह के दौरान पेज सं0 24 व 25 के अनुसार कुल 8106 उतर पुस्तिकाएं शेष दर्शाई जानी अपेक्षित थी जिसे स्टॉक रजिस्टर के अगले पृष्ठ पर उत्तर पुस्तिकाओं को शून्य दर्शाया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण किया जाये।

14 निधि से ₹2500 का अनुचित भुगतान बारेः—

वाउचर संख्या 298 से 301 दिनांक 4.3.16 ₹2500 का भुगतान 5 छात्रों को माईग्रेशन शुल्क की वापसी का दर्शाया गया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि जो माईग्रेशन फीस छात्रों से गल्ती से प्राप्त की गई तथा जिसे वापिस किया जाना अपेक्षित था व यह राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा की गई थी। जबकि इसका भुगतान समिश्रित निधि

से किया गया। अतः यह राशि विश्वविद्यालय निधि से आहरित कर समिश्रित निधि में हस्तांतरित की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रमांक	वा0सं0	छात्र का नाम व कक्षा	रसीद सं0	रोल नं0	प्राप्त रिफण्ड शुल्क
1	298	पूजा देवी बी काम–I	0685394	311517013	500
2	299	रंजनी बाला बी काम–I	0685382	311517007	500
3	300 (1)	मैहक सैणी बी काम–I	0685391	311517011	500
	300 (11)	मौसमी बी काम–I	0685393	311517012	500
4	301	साक्षी बी काम–I	0685388	311517010	500
				कुल	**₹2500**

15 स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारेः–

वाउचर संख्या 178 दिनांक 7.5.15 के अन्तर्गत मै0 हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम कार्पोरेशन को ₹283766 का भुगतान किया गया था यह भुगतान भौतिकी व वौटनी की लैब के सामान का दर्शाया गया था विवरण निम्न प्रकार से हैः–

		बिल सं0	दिनांक	राशि
1	भौतिकी	0011159	23.8.14	269832
2	वौटनी	0005153	23.8.14	13934
			कुल	**₹283766**

उक्त खरीद से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई जिसके अभाव में उक्त सामान के क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 औपचारिकताओं से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न कार्यों व खरीद के लिए भुगतान किए गए थे लेकिन क्रय/व्यय से सम्बन्धित औपचारिकताएं सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	207/16.7.15	मैसर्ज अमृतसर म्यूजिक हाउस से कबडडी मैट की खरीद का भुगतान समिश्रित निधि ₹139986 अनुदान (मुख्य रोकड़) ₹135000 ₹274986	274986
2	150/24.2.15	श्री राज कुमार ठेकेदार को चार दीवारी लगाने के लिए किया गया भुगतान अग्रिम ₹600000 बकाया 356410 कुल 956410	956410
3	149/24.2.15	श्री प्रमोद धीमान को कालेज ग्राउंड लैवलिंग के लिए लगाई गई JCB/Tractor का भुगतान	224700
		कुल	**₹1456096**

अतः उक्त औपचारिकताओं को अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना क्रय बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्न विवरणानुसार खरीदे गये सामान की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित खरीद की कार्योत्तर स्वीकृति लेनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	207 / 16.7.15	मैसर्ज अमृतसर म्यूजिक हाउस से बिल संख्या 1176 दिनांक 12.3.15 की एवज में खरीदी गई कबडडी मैट (Kabaddi Mat)	139986
2	90 / 4.11.11	मै0 बिलासपुर फर्नीचर फैक्टरी से बिल संख्या 3164 दिनांक 20.11.11 में वर्णित डैस्क व फर्नीचर	252620
		कुल	**392606**

18 मांग व प्राप्ति रजिस्टरों के रख रखाव न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि पूरे वर्ष के दौरान प्रत्येक छात्र से कुल कितनी राशि / फीस प्राप्त करनी अपेक्षित तथा वास्तव में कितनी प्राप्ति की गई व कितनी बकाया शेष है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमित आधार पर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव किया जाए ताकि उक्त प्राप्तियों की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से उचित प्रकार से की जा सके।

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

निधियों के स्टॉक रजिस्टरों की प्रत्यक्ष सत्यापना के सम्बन्ध मेंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा भण्डार रजिस्टरों में पडी हुई वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जबकि नियमानुसार प्रत्येक वर्ष कमेटी गठित करके भण्डार में पड़े स्टोर / स्टॉक भौतिक सत्यापन अपेक्षित था। अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष स्टोर / स्टॉक में दर्शित वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणीः—** लघु आपत्ति अलग से जारी नहीं की गई अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर दिया गया है।

21 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)सी(15)(11)(2)469/2001—खण्ड—2 दिनाँक20.02.2018 शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला—171002

2 निदेशक (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला—171001

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881